

अधिकारी

नंबर
अधिवक्ता
2/150/2020
पीतम वगैरा


कठूमर जिला अलवर

तारीख रजु.....

पीतम वगैरा

बनाम

परावानसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08.2020	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निर्देश किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी साबित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जज अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नं0 318, 325/529 वाके ग्राम भांवर, तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 23.10.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 23.10.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) </p> <p>23.10.2020 हुदाय देवेन रा.RO. दफ. अलवर मावकी दिनांक 29.1.2021 को पेश हो।</p> <p>29.1.2021 वकील साथिक आदेश दिनांक 24.8.2020 की पालना में पत्रावली वास्ते दिनांक 18-8-21 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) </p>	

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहवाल
की तारीख

आपका

वकील जगदीश उपाध्याय नहीं। वकील व उनके उपाध्याय
को वकील - 2 आवाज दिलाई गई। कोई उपाध्याय
नहीं आया। अतः जगदीश को आपना - पर 14/12/2020
वकील उपाध्याय के अफसस मैटकी - अफसस दायरी में
खारिज हिमा जाता है। पत्रावली में मल सुकल
वैकल सुकल वाद के साथ मल सुकल रहे हुक्म

उपस्थित अधिकारी
कटूमर (अतिरिक्त) राज०